

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 835
जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का चालू निर्माण-कार्य

835. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केरल में चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण के दौरान हुई टूट-फूट, दरारों और दुर्घटनाओं की संख्या के संबंध में कोई आँकड़े हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपाय के बतौर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में लगे ठेकेदारों/छोटे ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त घटनाओं के आलोक में डिज़ाइन, निर्माण और जल निकासी कार्यों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्थलों पर कोई लेखापरीक्षा की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए केरल राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा नियुक्त ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों का विवरण संलग्न है।

(घ) एनएचएआई ने विफलता का विश्लेषण करने और उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए आईआईटी-दिल्ली के सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री जी.वी. राव की देखरेख में विशेषज्ञों की एक टीम [डॉ. अनिल दीक्षित (पीएचडी, आईआईटी-दिल्ली); डॉ. जिमी थॉमस (पीएचडी, आईआईटी-कानपुर); डॉ. के. मोहन कृष्ण (पीएचडी, आईआईटी-गांधीनगर)] का गठन किया है। विशेषज्ञों की टीम ने परियोजना (कूरियाड) के किमी 276.78 और किमी 277.160 में तटबंध और रिटेनिंग संरचनाओं की विफलता के संबंध में 03.07.2025 को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसके अलावा, एनएचएआई ने 24.05.2025 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें एक वरिष्ठ सीआरआरआई वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त), आईआईटी-पलक्कड़ के एक एसोसिएट प्रोफेसर और

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के उप महानिदेशक शामिल थे, ताकि केरल में एनएच-66 पर चल रही 17 परियोजनाओं में प्रबलित मृदा (आरएस) दीवारों और ढलान संरक्षण कार्यों के अन्य संभावित रूप से असुरक्षित स्थलों का आकलन किया जा सके।

विशेषज्ञ समिति ने ढलानों/तटबंधों और अन्य असुरक्षित स्थलों के लिए अपनाई गई/अपनाई जा रही/अपनाए जाने के लिए प्रस्तावित सुरक्षा पद्धतियों की पर्याप्तता का आकलन करने और आवश्यक सुधार सुझाने के लिए 11.06.2025 से 14.07.2025 के बीच केरल में एनएच-66 के संपूर्ण खंड का दौरा किया। समिति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

“केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का चालू निर्माण-कार्य” के संबंध में श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 835 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्र. सं.	ढहने/दरार का विवरण	की गई कार्रवाई
1	एनएच-66 के चेंगाला-नीलेश्वरम खंड में चैनेज 58+035 से चैनेज 58+100 (दाहिनी ओर) तक सॉइलन नेलिंग कोलेप्स। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्र में कई स्थानों पर मुख्य कैरिजवे (एमसीडब्ल्यू) और सर्विस रोड (एसआर) में दरारें देखी गई हैं।	1. रियायतग्राही और उसके प्रमोटर मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 0.5% जो भी अधिक हो, 1 वर्ष तक प्रतिबंध लगाने के लिए अथवा सुधार कार्य पूर्ण होने तक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है + असफल कार्य के वर्तमान मूल्य का 5% या पूरे कार्य के अनुबंध मूल्य का 0.5% जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें एनएचएआई की चल रही / भविष्य की बोलियों में भाग लेने से एक महीने के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है या जब तक वे उचित अध्ययन के साथ सुधारात्मक उपाय प्रस्तुत नहीं करते हैं / यह प्रदर्शित करते हैं कि ऐसी विफलताएं दोबारा नहीं होंगी।
2	अझियूर-वेंगलम खंड में किमी 191+820 से किमी 192+100 (बाई ओर), किमी 193+400 से किमी 193+540 तक सॉइल नेलिंग।	रियायतग्राही मेसर्स अझियूर-वेंगलम रोड प्राइवेट लिमिटेड को 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगाने + 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। रियायतग्राही को अपने स्वयं के खर्च पर सुधार/उपचारात्मक उपाय करने का निर्देश दिया गया है। 01 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगाने और 20 लाख रुपये के जुर्माने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया ।
3	एनएच-66 के रामनट्टुकारा जंक्शन से वलंचेरी बाईपास खंड के आरंभ तक मुख्य कैरिज वे में चैनेज 276+780 और 277+160 (बाई ओर से) में कुरियाड में रिटेनिंग दीवार का ढहना।	रियायतग्राही और उसके प्रमोटर मेसर्स केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित करने के साथ-साथ असफल कार्य के वर्तमान मूल्य का 5% जुर्माना या पूरे कार्य के अनुबंध मूल्य का 0.5% जो भी अधिक हो, का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आईई को 1 वर्ष तक के लिए रोक लगाने और 20 लाख रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा, रियायतग्राही और स्वतंत्र इंजीनियर को एनएचएआई की जारी/भविष्य की बोलियों में भाग लेने से एक महीने के लिए या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच पूरी होने तक, जो भी बाद में हो, अस्थायी रूप से या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच पूरी होन तक, जो भी बाद में हो, के लिए निलंबित कर दिया गया है। रियायतग्राही और औद्योगिक विकास प्राधिकरण (आईई) ने इस

		कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एनएचआई के परियोजना निदेशक को निलंबित कर दिया गया है और साइट इंजीनियर की सेवाएँ समाप्त कर दी गई हैं।
4	भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ईपीसी मोड पर केरल राज्य में नए एनएच-66 (पुराने एनएच-47) के थुरवूर (डिजाइन चैनेज 379+612) से परावूर (डिजाइन चैनेज 417+000) खंड तक राजमार्ग के छह लेन में स्पैन पी17-पी18 (दाएं) में 4 गर्डर ढह गए।	परामर्शदाता और ठेकेदार के प्रतिनिधि को निलंबित कर दिया गया तथा ठेकेदार पर 15.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
5	कदम्बट्टुकोणम परियोजना के प्रारंभ में किमी.चौ. 497+370 (दाई ओर से) पर छोटे पुल (निर्माणाधीन) के मचान की विफलता/ढहने की घटना घटी है।	रियायतग्राही पर 9.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और रियायतग्राही ने जिम्मेदार इंजीनियर की सेवा समाप्त कर दी है।
6	कासरगोड जिले के मावुंगल, कान्हांगड में किमी 81.94 (बाई ओर से) पर 15 मीटर पर एक सर्विस रोड बह गई।	नाले को बॉक्स कल्वर्ट से अस्थायी रूप से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है तथा सर्विस रोड को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है।
7	1. किमी 84+4 बाई ओर पर सर्विस रोड के कुछ हिस्से में दरारें देखी गईं। 2. किमी 81.5 एमसीडब्ल्यू पर अनुदैर्घ्य दरारें	1. साइट पर अस्थायी ढलान संरक्षण कार्य कार्यान्वित किया गया तथा रिटेंनिंग वॉल और नाली निर्माण कार्य का कार्य वर्षा ऋतु के बाद शुरू किया जाएगा। 2. तटबंध के ऊपर तक क्रस्ट की परतें हटा दी गई हैं तथा पुनः बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
8	109.5 किमी एमसीडब्ल्यू पर अनुदैर्घ्य दरारें	तटबंध के ऊपर क्रस्ट परतों को हटा दिया जाएगा और उसके बाद आवश्यकतानुसार कार्य शुरू किया जाएगा।
9	पलोली मुराद ब्रिज के रास्ते में दरारें	दरारों का अस्थायी सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है।
10	थलापारा में एमसीडब्ल्यू में दरारें	दरारों का अस्थायी सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है।
11	चवक्कड़ में एमसीडब्ल्यू में दरारें देखी गईं	दरारों का अस्थायी सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है।
12	नीराविल में अंडर पास बस्ती	मौजूदा वीयूपी को ध्वस्त कर दिया गया है और नए वीयूपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है
13	चैनेज 60.95 पर वायडकट के दाएं तरफ पहुंचने पर गुहा (कैवेटी) बनते देखा गया।	अस्थायी जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो गया है।
14	अलाथुर स्वाथी जंक्शन में मुख्य कैरिजवे का निपटान	जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है।
15	कायमकुलम ब्रिज (अलाप्पुझा जिला) और चावरा ब्रिज (कोल्लम जिला) के पास तटबंध क्षतिग्रस्त होना	तटबंध को बनाए रखने के लिए अस्थायी उपाय प्रगति पर हैं।

“केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग का चालू निर्माण-कार्य” के संबंध में श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 835 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में एनएचएआई द्वारा नियोजित ठेकेदारों/उप-ठेकेदारों का विवरण

परियोजना का नाम	पीआईयू	रियायतग्राही/ठेकेदार*
एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर एचएएम मोड पर थलप्पडी से चेंगाला तक 6 लेन का निर्माण।	कन्नूर	मेसर्स उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी समिति लिमिटेड
एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर एचएएम मोड पर चेंगाला से नीलेश्वरम तक 6 लेन का निर्माण।	कन्नूर	मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
एचएएम मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर नीलेश्वरम से थलिप्परम्बा तक 6-लेन का निर्माण।	कन्नूर	मेसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर एचएएम मोड पर थलिप्परम्बा से मुझापिलंगडु तक 6 लेन का निर्माण।	कन्नूर	मेसर्स विश्व समुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर एचएएम मोड पर अझियूर से वेंगलम तक 6 लेन का निर्माण।	कोझिकोड	मेसर्स अझियूर वेंगलम रोड प्राइवेट लिमिटेड
एनएच-66 के मौजूदा कोझिकोड बाईपास (अर्थात् वेंगलम जंक्शन से रामनट्टुकारा जंक्शन) को एचएएम मोड पर 6 लेन का बनाया जाना।	कोझिकोड	मेसर्स कालीकट एक्सप्रेसवेज़ प्राइवेट लिमिटेड
केरल राज्य में एनएच-66 के कोझिकोड बाईपास खंड के छह लेन के 4 मौजूदा 2 लेन प्रमुख पुल के चौड़ीकरण का शेष कार्य ईपीसी मोड पर।	कोझिकोड	मेसर्स केएमसी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर एचएएम मोड पर रामनट्टुकारा से वलंचेरी तक 6 लेन का निर्माण।	कोचीन-।	मेसर्स केएनआर रामनट्टुकारा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
एनएच-66 (पुराना एनएच-17) पर एचएएम मोड पर वलनचेरी से कपिरिक्कड़ तक 6 लेन का बनाया जाना।	कोचीन-।	मेसर्स केएनआर गुरुवयूर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
एनएच-17 (नया एनएच-66) के कपिरिक्कड़-थलिकुलम को एचएएम मोड पर 4/6 लेन का बनाया जाना।	कोचीन-।	मेसर्स कपिरिक्कड़ हाईवेज़ प्राइवेट लिमिटेड
एचएएम मोड पर एनएच-17 (नया एनएच-66) के थलिकुलम-कोडुंगल्लूर को 4/6 लेन का बनाना ।	कोचीन-।	मेसर्स कोडुंगल्लूर हाईवे प्राइवेट लिमिटेड
एचएएम मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-17) के कोडुंगल्लूर - एडापल्ली को 6-लेन का बनाना।	कोचीन-।।	ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड

परियोजना का नाम	पीआईयू	रियायतग्राही/ठेकेदार*
एनएच 66 के थेक्कू खंड का अरूर से थुरवूर तक 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर ईपीसी मोड पर बनाना।	कोचीन-॥	अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड
ईपीसी मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-47) का थेक्कू - परवूर खंड के थुरवूर को 6 लेन का बनाना।	कोचीन-॥	केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
एनएच 47 (नया एनएच 66) के परावूर से कोट्टुकुलंगरा खंड को ईपीसी मोड पर 6 लेन का बनाना (डिजाइन चैनेज:417.00 से डिजाइन चैनेज:454.500 तक)।	कोल्लम	एसईडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
कोट्टुकुलंगरा के आरंभ से लेकर एनएच 47 (नया एनएच-66) के कोल्लम बाईपास खंड (डिजाइन चैनेज : 454+500 से डिजाइन चैनेज 486+00 तक) को 6 लेन एचएएम मोड पर बनाना	कोल्लम	विश्व समुद्र इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
एचएएम मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के कोल्लम बाईपास से कदम्बट्टुकोणम तक 6 लेन का कार्य।	तिरुवनंतपुरम	कोल्लम हाईवेज़ प्राइवेट लिमिटेड
ईपीसी मोड पर एनएच-66 (पुराना एनएच-47) के कदंबतुकोणम से कजाकुट्टम तक 6 लेन का बनाना।	तिरुवनंतपुरम	मेसर्स आरडीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड और मेसर्स आरके चव्हाण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड।
तिरुवनंतपुरम बाईपास में 4 ब्लैकस्पॉट का सुधार	तिरुवनंतपुरम	मेसर्स चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी
मौजूदा एनएच-85 का किमी 0.000 से किमी 124.636 खंड तक 2एल/@एल+पीएस खंड तक चौड़ीकरण/विकास	कोचीन-॥	मेसर्स ईकेके इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
एनएच-544 के वालयार - अंगामाली खंड में 11 ब्लैकस्पॉट का सुधार	पलक्कड़	मेसर्स पीएसटी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन

एचएएम परियोजना के मामले में रियायतग्राही तथा ईपीसी परियोजनाओं के मामले में ठेकेदार।
